EXPRESSION OF INTEREST FOR EVALUATION OF SWADHAR GREH SCHEME BEING RUN BY MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

Ministry of Women and Child Development intends to get evaluation of Swadhar Greh Scheme being run by the Ministry. Swadhar Greh Scheme targets women victims of unfortunate circumstances who are in need of institutional support for rehabilitation so that they could lead their life with dignity. As present 592 Swadhar Grehs are running all over India.

2. The purpose of the depth evaluation would be as under:

(i) Study appropriateness of scheme in targeting the intended Beneficiaries to the extend envisaged.
(ii) Identification of problems in implementing the scheme.
(iii) Identification of bottlenecks and shortcomings in the scheme design which hamper the speedy implementation of the scheme and suggestion of remedial action.
(iv) Study of institutional and capacity building needs of the implementing agencies.
(v) Study of cost effectiveness of the scheme.
(vi) Study of scope for improvement of scheme.
(vii) Study cost benefit analysis of the scheme taking into consideration the limited number of women and girls rehabilitated so far.

3. letters of interest are invited from the qualified and experienced consulting firms who fulfill the following conditions and wish to be considered for evaluation of Swadhar Scheme run by Ministry of Women & Child Development.

i) Registration under an appropriate status.

ii) Experience of conducting such evaluation in the last 5 years in the social sector such as women and child development, rural development, poverty alleviation etc.

4. The duration of project will be about 2months with 120 mandays (approx).

5. Expression of interest, with the accompanying material, should be submitted to Deputy Secretary (Swadhar), Ministry of Women and Child Development , Room No.632, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi within 10 days from publication of the notice.

6. On the basis of information received from interested consultants, the Ministry of Women and Child Development will prepare and shortlist of 3 to 6 Consultants, who will be invited to submit proposals.

Ministry of Women and Child Development
Government of India

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्वाधार गृह स्कीम के मूल्यांकन के लिए रूचि की अभिव्यक्ति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही स्वाधार गृह स्कीम का मंत्रालय मूल्यांकन कराना चाहता है । स्वाधार गृह स्कीम के तहत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की महिला पीड़ितों पर ध्यान दिया जाता है जिनको पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की जरूरत होती है ताकि वे गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें । इस समय पूरे भारत में 592 स्वाधार गृह चल रहे हैं ।

2. गहन मूल्यांकन का प्रयोजन निम्नानुसार होगा :

(i) आशयित लाभार्थियों को लक्षित करने में स्कीम की उपयुक्तता का अध्ययन करना ।
(ii) स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना ।
(iii) स्कीम की डिज़ाईन से जुड़ी अड़चनों एवं कमियों की पहचान करना जिनसे स्कीम के त्वरित कार्यान्वयन में बाधा पहुंचती है तथा उपचारी कदमों के बारे में सुझाव देना ।
(iv) कार्यान्वयन एजेंसियों की संस्थानिक एवं क्षमता निर्माण संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करना ।
(v) स्कीम की लागत कारगरता का अध्ययन करना ।
(vi) स्कीम में सुधार की संभावना का अध्ययन करना ।
(vii) अब तक पुनर्वासित महिलाओं एवं लड़कियों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए स्कीम के लागत लाभ विश्लेषण का अध्ययन करना ।

3. योग्य एवं अनुभवी परामर्श फर्मों से अभिरूचि पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं तथा चाहते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्वाधार गृह स्कीम के मूल्यांकन के लिए उन पर विचार किया जाए :

i) उपयुक्त स्टेटस के तहत पंजीकरण ।
ii) सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन आदि में पिछले पांच वर्षों में ऐसे मूल्यांकन के संचालन का अनुभव ।

4. परियोजना की अवधि 120 मानव दिवस (लगभग) के साथ दो माह होगी ।

5. अनुलग्नक सामग्री के साथ रूचि की अभिव्यक्ति नोटिस के प्रकाशन से 10 दिन के अंदर उप सचिव (स्वाधार), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कमरा नं. 632, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

6. इच्छुक परामर्शदाताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 3-6 परामर्शदाताओं की सूची तैयार करेगा जिन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार